FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सीकर

प्रवीण डामोर बनाम मेहनलाल बराला आदि

किस्म मुकदमा – प्रार्थना–पत्र स्थानान्तरण मुकदमा नम्बरः– 25 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.12.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से वकील श्री भागीरथसिंह कुड़ी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस में विचाराधीन प्रकरण संख्या 02/2014 अन्तर्गत धारा 145 सी.आर.पी.सी. उनवानी प्रवीण डामोर बनाम मोहनलाल बराला को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करवाये जाने बाबत पेश किया गया है। अतः पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगणों को जरिये रजि. नोटिस तलब किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय से प्रकरण के सम्बन्ध में बिन्दूवार टिप्पणी जाकर पत्रावली दिनांक 18.02.2025 को पेश हो। (मुकुल शर्मा) (मुकुल शर्मा) जिला कलक्टर, सीकर जिला कलक्टर, सीकर	नोटिस:- 1183-85 27/12/24 टिप्पणी:- 1186 27/12/24
18.02.25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25.3.25 को पेश हो।	
25.03.25	~~पत्रावली पेश हुई।~~ पत्रावली पूर्व आदेशानुसार ~~दिनांक~~ 13.05.25 को पेश हो।	
13.05.25	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं. 1 व 3 की ओर से वकील श्री नरेश कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 03.06.25 को पेश हो।	
03.06.25	पत्रावली पेश हुई। अधीनस्थ न्यायालय से बिन्दुवार जवाब। टिप्पणी प्राप्त हो चुकी है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24.06.25 को पेश हो।	
24.06.25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 08.07.25 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.07.25	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी को बार-बार आवाज लगवाई गई परन्तु हाजिर अदालत नहीं आए हैं। वकील प्रार्थी को एक अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते सुनवाई एवं आगामी कार्यवाही दिनांक 22.07.25 को पेश हो। (मुकुल शर्मा) जिला कलेक्टर, सीकर	[illegible] [नरेश कुमार शर्मा] एड.
22.07.25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 31.07.25 को पेश हो।	
31.07.25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। अप्रार्थी संख्या 2 की तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 07.08.25 को पेश हो। (मुकुल शर्मा) जिला कलेक्टर, सीकर	
07.08.25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21.8.25 को पेश हो ASW	
21.08.25 प्रार्थी की मृत्यु होने पर उनके [illegible] [illegible] आवेदन [illegible] [illegible] [illegible]	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकील श्री नरेश कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया है। प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया है कि प्रार्थी की मृत्यु हो चुकी है एवं कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु अवसर चाहा है। अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते कार्यवाही कायम मुकाम आवश्यक रूप से दिनांक 09.09.25 को पेश हो। (मुकुल शर्मा) जिला कलेक्टर, सीकर	

न्यायालय .... जिला कलेक्टर सीकर

.... प्रवीण डामोर .... बनाम .... मोहनलाल आदि

मुकदमा नं. .... 25/2024 .... प्रा०प० स्थानान्तरण (मुतकिली)

09.09.25	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी को बार-बार आवाज लगवाये जाने पर भी हाजिर नहीं आये है। वकील अप्रार्थी ने एक आवेदन बाबत परिवादी की मृत्यु होने पर प्रा०प० खारिज किये जाने का पेश किया है साथ ही दस्तावेज पेश किये है। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की मृत्यु दिनांक 25.02.2025 को हो चुकी है जो कि प्रस्तुत दस्तावेज यथा 'FIR' की प्रति से प्रमाणित है। कायम मुकाम पेश करने की अवधि भी 90 दिवस की होती है, जो भी काफी समय पहले पुरी हो चुकी है। प्रार्थी का आवेदन CRPC से सम्बंधित है एवं CRPC में कायम मुकाम लाने का कोई प्रवधान भी नही है। प्रार्थी ने अपना आवेदन भी RTA की धारा 235 के अन्तर्गत पेश किया है जो कि CRPC की पत्रावली में पोषणीय नहीं है। प्रार्थी ने यह प्रा०प० मुतकिली जरिये मुख्त्यारनामा पेश किया है जबकि न तो मुख्त्यारनामा की प्रति पेश की है और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी मुख्त्यारनामा संलग्न नहीं है, जो कि प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है। CRPC में जरिये मुख्त्यार कोई कार्यवाही संभव नहीं है। चुंकि अब प्रार्थी की मृत्यु भी हो चुकी है तो यदि कोई मुख्त्यारनामा है भी तो वह अब कोई मान्य नहीं रखता है। अतः प्रार्थी का आवेदन मुतकिली खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी ने कुछ न्यायिक दृष्टांत भी पेश किये है। हमने बहस वकील अप्रार्थी की सुनी। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपुर्वक अध्ययन किया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29.09.25 को पेश हो। (मुकुल शर्मा) जिला कलेक्टर, सीकर

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर

प्रवीण डामोर v/s मोहनलाल आदि

प्र०सं० - 25/2024 किस्म - प्रा०प० स्थानान्तरण (मुंतकिली)

29.09.25 पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी को बार-बार आवाज लगवाये जाने पर आज भी उपस्थित नहीं आये हैं। प्रकरण में वकील अप्रार्थी की मजीद बहस सुनी गई।

हमने वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं दस्तावेजात का भलीभांति अवलोकन किया एवं न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी एक तथाकथित मुख्त्यारनामे के जरिये इस न्यायालय में आया है। प्रार्थी की ओर से उक्त तथाकथित मुख्त्यारनामे की प्रति आज दिवस तक इस न्यायालय में पेश नहीं की है।

चूंकि वर्तमान में प्रार्थी की मृत्यु हो चुकी है, जो कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से स्पष्ट है एवं वकील प्रार्थी ने भी इस बात को ऑर्डरशीट पर प्रमाणित किया है। कोई भी मुख्त्यारनामा व्यक्ति के जीवित रहते ही मान्य हो सकता है। किसी भी एक पक्षकार (मुख्त्यारकर्ता अथवा मुख्त्यारगृहीता) की मृत्यु हो जाने पर मुख्त्यारनामा स्वतः ही शून्य (Null & Void) समझा जाता है। जो कि कानून में भी परिभाषित है। अतः यह न्यायालय इस पत्रावली को आगे चलाया जाना उचित नहीं समझता है।

अतः यह प्रार्थना-पत्र मुंतकिली इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर